अंचल कार्यालय, बोआरीजोर।

आदेश

मौजा–बालाझोर थाना नं0–26 जमाबंदी नं0–66 दाग नं0–581 किस्म गौचर भूमि पर किये गये अतिक्रमण अभिलेख संख्या–02/2020–21

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अनुपालन
30/05/25	इस वाद का प्रारंभ आवेदक कन्दन हेम्ब्रम प्रधान एवं अन्य मौजा-बालाझोर थाना नं0-26 पंचायत-लीलातरी-2 थाना-ललमटिया अंचल-बोआरीजोर जिला-गोड्डा के आवेदन से होता है, जिसमें उनके द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम-बालाझोर पंचायत-लीलातरी-2 थाना-ललमटिया के कुछ व्यक्तियों द्वारा गाँव के गौचर जमीन पर मकान, झोपडी एवं ईट का भट्ठा लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। उक्त के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच कराई गई। जाँचोपरांत उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-बालाझोर थाना नं0-26 के गैरमजरूआ खाता सं0-66 के दाग सं0-581 किस्म गौचर के अंतर्गत कुल-15 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर मकान, झोपड़ी आदि बनाया गया है। साथ ही अतिक्रमणकारियों की सूची भी संलग्न की है, जो संलग्न है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त भूमि सरकारी भूमि है जो गैरमजरूआ पंजी में किस्म गौचर कहकर दर्ज है जो बिहार/झारंखड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एक लोक भूमि है पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है जिसके आधार पर:- 1. उक्त मौजा के चिन्हित अतिक्रमणकारियों के विरूद्व अतिक्रमण हटाने हेतु झारखंड लोक अतिक्रमण अधिनियम 2000 की धारा-3 के अंतर्गत फॉर्म-I में नोटिश निर्गत किया गया जिसके आलोक में अतिक्रमणकारियों द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि उक्त भूमि पर उसके दावा व हक /अधिकार बनता हो। 2. अतिक्रमित भूमि न तो अतिक्रमणकारियों की कृषि भूमि से जुड़ी है और न ही कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में है। अत: उक्त भूमि बंदोवस्ती हेतु प्रतिबंधित है। बिहार/झारखंड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 6(1) के तहत अतिक्रमणकारियों के विरूद्व दंड का प्रावधान है। 3. अत: बिहार/झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2000 की धारा 6(1) (C) के अंतर्गत उक्त लोक भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित करता हूँ। 4. लोक भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि इस आदेश के जारी होने के 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटा लें। 5. यदि निर्दिष्ट समय के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो अतिक्रमित भूमि पर विद्यमान सभी प्रकार की संरचनाएँ जब्त कर ली जाएगी और आवश्यकतानुसार बल का प्रयोग करके उन्हें हटा दिया जाएगा। 6. राजस्व उपनिरीक्षक बिहार/झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 एवं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के तहत ऐसे व्यक्ति के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज कर सूचित करें। सहायक, अतिक्रमणकारियों के विरूद्व फॉर्म-II में नोटिस निर्गत करें। अंचल अधिकारी बोआरीजोर।	

Digitally signed by localhost
Date: 2025.10.16 16:15:17 +05:30
Location: 192.168.31.129